विभाग का नाम– कृषि विभाग

कार्यालयाध्यक्ष का नाम– जे0पी0 तिवारी
पद नाम– मुख्य कृषि अधिकारी,हरिद्वार
टेलीफोन नंबर– 01334–239034/9412309322
कक्ष संख्या एवं तल– 55, 56 द्वितीय तल
ईमेल आईडी– jptiwari0806@gmail.com

कृषि विभाग द्वारा कृषकों को देय सुविधायें

1–नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन

- चयनित क्षेत्रों में धान, गेहूँ, एवं मोटे अनाज (मक्का एवं छोट धान्य) के प्रदर्शनों का आयोजन।
- धान एवं गेहूँ की अधिक उपजदायी प्रजाति के बीजों के कय पर रू0 1000 प्रति कुन्तल तथा संकर धान बीजों के कय पर रू0 5000 प्रति कुन्तल या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो की राज्य सहायता।
- सूक्ष्म तत्वों, कृषि रक्षा रसायनों एवं जैव रसायनों कय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 500 प्रति हैक्टेयर की राज्य सहायता।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले कृषि यंत्र तथा व्यय के मानक

क0सं0	यंत्र का नाम	व्यय के मानक
1	मैनुअल स्प्रेयर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 600.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
2	ड्रम सीडर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 1500.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
3	पावर नैपसैक स्प्रेयर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 3000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
4	जल पम्प, स्प्रिंकलर सेट, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 10,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
5	सीड ड्रिल, पावर वीडर, जीरो टिल सीड ड्रिल, मोबाइल रेनगन, वाटर कैरिंग पाइप	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 15,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
6	रोटावेटर/टर्बो सीडर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 35,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
7	मल्टी काप थ्रेसर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 40,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
8	पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ग्रेडर हेतु स्ट्रा रीपर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 50,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
9	सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रान्सप्लान्टर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 75,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
10	रीपर वाइंडर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 1,00,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
11	लेजर लैण्ड लेवलर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 1,50,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता

2–जैविक मण्डुवा प्रोत्साहन कार्यक्रमः–

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में जैविक मण्डुवा उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से जैविक मण्डुवा प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिनमें निम्न सुविधायें देय है –

- जैविक खेती विस्तार हेतु कृषक प्रशिक्षण एवं कम्पोस्ट संरचनाओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत तक की राज्य सहायता।
- जैव आगातों के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 200 प्रति हैक्टेयर की दर से राज्य सहायता।
- जैविक प्रमाणीकरण व्यय हेतु रू0 500 प्रति हैक्टेयर का प्राविधान।
- मण्डुवा थ्रेसर के क्रय पर मूलय का 75 प्रतिशत या अनुमन्य सीमा जो भी कम हो की राज्य सहायता।

3–बीज ग्राम योजना (SUBMISSION ON SEED AND PLANTING MATERIAL):–

- चयनित ग्रामों में एक एकड़ के लिये बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर धान्य फसलों एवं 60 प्रतिशत अनुदान पर दलहन एवं तिलहन फसलों का बीज वितरण।
- बीज उत्पादन कार्यक्रम में भण्डारण के लिये बुखारियों के क्रय पर अनुदान की सुविधा एवं कृषक प्रशिक्षण।
- बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

4–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः–

- जैविक खेती विस्तार हेतु कृषक प्रशिक्षण एवं कम्पोस्ट संरचनाओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत तक राज्य सहायता।
- दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण सुविधाओं से क्षेत्र उपचार।
- एन0एफ0एस0एम0 चावल, गेहॅू कार्यक्रम से अनाच्छादित जनपदों में कलस्टर प्रदर्शन तथा बीजों, सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा कृषि रक्षा रसायनों पर राज्य सहायता।
- जनपद हरिद्वार एवं टिहरी में मक्का, मण्डुवा एवं गेहॅू की किस्मों पर क्लस्टर प्रदर्शन की सुविधा।
- जनपद हरिद्वार एवं टिहरी में गेहॅू के न्यूट्रीरिच प्रजातियों का समूह प्रदर्शनों का आयोजन।

प्रमोशन ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत कृषि यंत्र तथा व्यय के मानक

क0सं0	यंत्र का नाम	व्यय के मानक
1	स्प्रेयर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 8,00.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
2	पैडी थ्रेशर, चैफ कटर, विनोइंग फैन	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 2,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
3	हल एवं सीड ड्रिल	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 2,500.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
4	लाइट वेट ब्रश कटर, एच0डी0पी0ई0 पाइप, जल पम्प, एम0बी0 डिस्क हल, हैरो, कल्टीवेटर, सीड कम फर्टी ड्रिल	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 10,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
5	थ्रेशर	मूल्य का 30 प्रतिशत या रू0 12,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
6	पावर वीडर	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 15,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
7	पावर टिलर	मूल्य का 40 प्रतिशत या रू0 45,000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो की राज सहायता
8	पर्वतीय छोटे कृषि यंत्र	मूल्य का 50 प्रतिशत

5–सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फार एक्सटेंशन रिफार्मस–आतमा (केन्द्रपोषित): (SUBMISSION ON AGRICULTURE EXTENSION) :–

इसमें कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, गन्ना आदि रेखीय विभागों के समन्वित प्रयास सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन, कृषक, अध्ययन भ्रमण, कृषक समूह क्षमता विकास, कृषक समूह सीड मनी, फूड सिक्योरिटी समूह, सर्वश्रेष्ठ कृषक समूह पुरस्कार, किसान पुरस्कार, फार्म स्कूल आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहें है।

6–राष्ट्रीय कृषि बीमा कार्यक्रमः–राष्ट्रीय कृषि बीमा कार्यक्रम के अन्तर्गत दैवीय आपदा से होने वाली क्षति की दशा में किसानों को अधिसूचित फसलों–धान, मण्डुवा एवं गेहूॅ के लिए बीमा सुरक्षा।

7–मृदा परीक्षण कार्यक्रमः–यह सुविधा प्रत्येक जनपद में उपलब्ध हे। नमूना परीक्षण हेतु मुख्य पोषक तत्वों के लिए रू0 7 एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों हेतु रू0 51 प्रति नमूना शुल्क निर्धारित है।

8–नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (NMAET) अन्तर्गत संचालित सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE) एवं जनपद स्तर पर एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी मैनेजमेन्ट एजेन्सी–आतमा (केन्द्रपोषित) :

कार्यक्रमों को कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, गन्ना आदि रेखीय विभागों के समन्वित प्रयास सम्मिलित है।

क्र0सं0	कार्यक्रम	कार्यक्रम के घटक	राज्य सहायता के मानक
1	कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम	अन्तर्राज्यीय/राज्यांतर्गत/जिलांतर्गत	क्रमशः रु0 1250, रु0 1000, एवं रु0 400 (आवासीय प्रशिक्षण होने पर)/250(एक दिन के प्रशिक्षण पर) प्रति कृषक प्रतिदिन
2	प्रदर्शन	कृषि/उद्यान/पशुपालन/रेशम/मत्स्य आदि	रु0 4000 प्रति एकड़
3	कृषक अध्ययन भ्रमण	अन्तर्राज्यीय/राज्यांतर्गत/जिलांतर्गत	क्रमशः रु0 800, रु0 400, एवं रु0 300 प्रति कृषक प्रतिदिन
4 (1)	कृषक समूह क्षमता विकास	प्रति समूह प्रतिवर्ष	रु0 5000 प्रति समूह
(2)	कृषक समूह सीड मनी	प्रति समूह एक बार	रु0 10000 प्रति समूह
(3)	फूड सिक्योरिटी समूह	प्रति समूह एक बार	रु0 10000 प्रति समूह
5	सर्वश्रेष्ठ कृषक समूह पुरस्कार	प्रति समूह प्रतिवर्ष	रु0 20000 प्रति समूह
6	किसान पुरस्कार	राज्य स्तर/जनपद स्तर/ब्लॉक स्तर	क्रमशः रु0 50000, रु0 25000, एवं रु0 10000 प्रति कृषक
7	फार्म स्कूल	ब्लॉक स्तर (प्रति विकासखण्ड 03 फार्म स्कूल)	रु0 29414 प्रति फार्म स्कूल

राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (NCIP)

क्र0सं0	जनपद	कार्यक्रम	कार्यक्रम के घटक	राज सहायता के मानक	संसूचित क्षेत्र
1	उत्तराखण्ड के समस्त जनपद	माडीफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	फसल – धान, मण्डुवा (खरीफ) एवं गेहूँ (रबी)	40 प्रतिषत से 75 प्रतिषत तक।	मैदानी क्षेत्रों में न्यायपंचायत स्तर है। पर्वतीय क्षेत्रों मे तहसील स्तर पर।

मॉडीफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाः–

क्र0सं0	प्रीमियम दर स्लैब	कृषकों हेतु सब्सिडी
1	2% तक	शून्य
2	2% से 5% तक	प्रीमियम दर पर 40% छूट (कृषक द्वारा देय प्रीमियम कम से कम 2% होगा)
3	5% से 10% तक	प्रीमियम दर पर 50% छूट (कृषक द्वारा देय प्रीमियम कम से कम 3% होगा)
4	10% से 15% तक	प्रीमियम दर पर 60% छूट (कृषक द्वारा देय प्रीमियम कम से कम 5% होगा)
5	15% से अधिक	प्रीमियम दर पर 70% छूट (कृषक द्वारा देय प्रीमियम कम से कम 6% होगा)

सूखा/अत्यधिक वर्षा के कारण बुवाई न हो पाने के कारण बीमित फसल का 25% (बीमित धनराशि) तक की क्षतिपूर्ति देय होगी।

(जे0पी0 तिवारी)
मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।